फर्द अहकाम

(नियम (26)

राज अदालत ....उपखण्ड अधिकारी... सिकराय ...(दौसा)...

रामप्रसाद
सरकार बनाम ...सुगन

नम्बर मुकदमा ......88, 188 RTA ....मु0 नं0.... 123/14 (हमशिला वाद सं. 204/13 व 102/14 तथा 16/2014)

हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नंबर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
25/1/22	पत्रावली पेश। बहस दाना सुनी गयी। प्रश्नगत वाद के साथ वाद सं. 204/13 व 102/14 को हमशिला किया गया है वाद अनुसार वादी ग्राम कालवान के खाते ख.नं. 378/2.19बीघा व 553/4.06बीघा की सम्वत् 2016 में प्रतिवादीगण व उसके पूर्वजों के नाम गैर कानूनी तरीके से राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज हुयी भूमि का सं. 2016 से पूर्व स्थिति के अनुसरण में खातेदारी उद्घोषणा चाहता है। हमशिला वाद सं. 204/13व 102/14 में प्रतिवादी पक्ष रामसिंह तकासमा का अनुतोष चाहता है। ~~तथा हमशिला वाद सं. 204/13~~ इसी पत्रावली के साथ हमशिला वाद सं. 16/2014 में वादी भरोसी खातेदारी उद्घोषणा का अनुतोष चाहता है वाद सं. 16/2014 अपंजीकृत लिखित के आधार पर खातेदारी उद्घोषणा का है, जिसकी अधिकारिता राजस्व न्या. की नहीं है। अत: वाद सं. 16/2014 खारिज किया जाता है वाद सं. 204/13व व 102/14 रामसिंह द्वारा तकासमा अनुतोष बाबत है। उपरोक्त दोनों वादों से related भूमि बाबत उद्घोषणा वाद 123/14 पेश किया गया है वाद सं. 123/14 में प्रतिवादीगण रामकिशन वगैरह बावजूद नोटिस उपस्थित नहीं आये व न ही वाद के अनुतोष का विरोध किया है साक्ष्य वादी में वादी रामप्रसाद द्वारा की शपथ पेश कर सम्वत् 2016 में प्रतिवादी पक्ष में गैर कानूनी रूप से भूमि दर्ज करने व मौका पर स्वयं की कब्जा काश्त होने का कथन किया गया है वादी द्वारा पेश जमाबंदी सम्वत् 2012 अनुसार	

→ लगातार...

(हस्ताक्षर) 25.1.22

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज रामप्रसाद उनवान सरकार बनाम ....सुगना..... 88, 188 RTA
	मुकदमा नं0 ....123/14...... निर्णय दि0....25.1.22. (तकासमा वाद सं. 204/13, 16 व 102/14) प्रश्नगत भूमि वादी के पूर्वज हरपाल वगैरह के नाम दर्ज रही है तथा प्रतिवादी गण का कब्जा काश्त कभी भी नहीं रही है। वादी की साक्ष्य का प्रतिवादी पक्ष द्वारा ऐतराज भी नहीं किया गया है, जो मौन स्वीकृति का द्योतक है। साबिक ख.नं. 378/5.19बीघा के हाल ख.नं. 566/.01है. व 567/1.50है. कायम किये गये हैं व साबिक ख.नं. 553/4.06बीघा के हाल ख.नं. 799/1.09है. कायम किये गये हैं। मद सं. 2 में वर्णित सजरा अनुसार वादी रामप्रसाद प्रश्नगत भूमि के सं. 2016 से पूर्व के खातेदारों का वारिस है। अन्य किसी भी व्यक्ति द्वारा वारिस होने बाबत दावा नहीं किया गया है। इस आधार पर तकासमा वाद सं. 204/13, 102/14 रिकार्ड व मौका स्थिति के विपरीत होने के कारण खारिज किया जाता है तथा वादी रामप्रसाद को ग्राम कालवान के खाता सं. 368 के ख.नं. खाता सं. 369 के ख.नं. 566 व 567 तथा 799 का खातेदार घोषित किया जाता है। मुताबिक आदेश डिग्री व तहरीर जारी होकर पत्रावली फैसल शुमार हो। (हस्ताक्षर) (रणजीतसिंह) 25.1.22.